

शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति

संदर्भ: दिनांक 02.09.2008 का DoPT का 10 ज्ञा० संख्या 12011/03/2008 (भत्ता)

1) प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित बच्चे/बच्चे, जिसके /जिनके संबंध में शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है पूर्णतः मुझ पर निर्भर है:

बच्चे का नाम एवं जन्म तिथि	उस विद्यालय का नाम जिसमें पढ़ रहा है	कक्षा जिसमें पढ़ रहा है एवं शैक्षिक वर्ष	भुगतान किया गया कुल शिक्षा शुल्क	कुल राशि जिसकी प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1)			@	,
€ शिक्षा शुल्क— (अवधि:)				,
किताबों की खरीद— (एक सेट/प्रति बच्चा/प्रति शैक्षिक वर्ष)				,
कपियों की खरीद— (एक सेट/प्रति बच्चा/प्रति शैक्षिक वर्ष)				,
पोशाक की खरीद— (दो सेट/प्रति बच्चा/प्रति शैक्षिक वर्ष)				,
स्कूल की जूतों की खरीद— (एक सेट/प्रति बच्चा/प्रति शैक्षिक वर्ष)				,
कोई अन्य मद (स्पष्ट करें)				,
उपरोक्त कालम 4 में कुल योग भरा जाए@				,
2)			@	,
€ शिक्षा शुल्क— (अवधि:)				,
किताबों की खरीद— (एक सेट/प्रति बच्चा/प्रति शैक्षिक वर्ष)				,
कपियों की खरीद— (एक सेट/प्रति बच्चा/प्रति शैक्षिक वर्ष)				,
पोशाक की खरीद— (दो सेट/प्रति बच्चा/प्रति शैक्षिक वर्ष)				,
स्कूल की जूतों की खरीद— (एक सेट/प्रति बच्चा/प्रति शैक्षिक वर्ष)				,
कोई अन्य मद (स्पष्ट करें)				,
उपरोक्त कालम 4 में कुल योग भरा जाए@				,

2. प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक बच्चे के लिए विनिर्दिष्ट शिक्षा शुल्क वास्तविक रूप में मेरे द्वारा अदा किया गया है। (रसिद संलग्न है) (नोट: विद्यालय शुल्क कार्ड एवं बैंक चालानों की प्रति/अदा की गयी धनराशि की रसीदें/खरीद की रसीदों की मूल प्रतियों संलग्नक की जानी है)

3. प्रमाणित किया जाता है कि

क— मेरी पत्नी / मेरा पति केंद्रीय सरकारी कर्मचारी नहीं हैं।
ख— मेरी पत्नी/मेरा पति केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं।

ग— मेरी पत्नी/मेरा पति कर्मरत नहीं हैं। (जो लागू नहीं है उसे काट दें।)

4. प्रमाणित किया जाता है कि मैं या मेरे पति/मेरी पत्नी ने उपर्युक्त बच्चों के संबंध में उपर्युक्त अवधि के लिए किसी अन्य स्थापना से शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति का दावा न तो पहले किया है और न करेंगे।

5. प्रमाणित किया जाता है कि इस दावे की अवधि के दौरान बच्चा/बच्चे नियमित रूप से स्कूल में हाजिर रहा है/रहे हैं और वह / वे उपर्युक्त छुट्टी के बिना एक महीने से अधिक अवधि तक स्कूल से गैर हाजिर नहीं रहा है/रहे हैं।

6. उपर्युक्त व्यौरों में कोई ऐसा परिवर्तन होने की हालत में जिससे शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति का मेरी पात्रता पर प्रभाव पड़ता है तो मैं वचन देता हूँ कि ऐसे परिवर्तन की सूचना मैं तत्काल दे दूँगा/दूँगी।

7. प्रमाणित किया जाता है कि मेरा बच्चा/बच्चे जिनके संबंध में प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है, जिस स्कूल में पढ़ रहा है/रहे हैं, वह मान्यता प्राप्त स्कूल है। (केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/नगरनिगम/पंचायत समिति/जिला समिति/जिला परिषद द्वारा चलाए जाने वाले स्कूलों के लिए लागू नहीं)

(€ ट्यूशन शुल्क का अर्थ शिक्षा शुल्क, प्रवेश शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, कृषि शुल्क, इलैक्ट्रोटाइक्स, संगीत अथवा किसी अन्य विषय हेतु दिया गया विशेष शुल्क, कार्यानुभव कार्यक्रम के अंतर्गत प्रायोगिक कार्य हेतु दिया गया शुल्क, बच्चे द्वारा व्यवहार किया गया उपकरण या यंत्र के प्रयोग हेतु दिया गया शुल्क, पुस्तकालय शुल्क, खेल / खेल-कूद शुल्क और पाठ्यत्तर गतिविधियों से संबंधित शुल्क)

स्थान एवं तारीख:

(सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर)

नाम सूचपट अक्षरों में _____

पदनाम _____ कर्मचारी कोड _____

प्रभाग/अनुभाग _____ मोबाइल/फोन/इंटरकॉम _____

महत्वपूर्ण: प्रतिपुर्ति की दावा, दो प्रतियों में सारे मूल रसीदें और उनके फोटोकॉपी के साथ प्रशासन अनुभाग में जमा किया जाए। सारे रसीदों पर, प्रतिपुर्ति की दावा करने वाले सरकारी कर्मचारी की हस्ताक्षर होना जरूरी है।